प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक 22.03.2025

थाना पैकोलिया पुलिस, एस0ओ0जी0 टीम बस्ती द्वारा नाबालिग लड़की की हत्या के अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार-

थाना पैकोलिया पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में नाबालिग लड़की की हत्या कर नदी में फेंकने वाले अभियुक्त सूरज उर्फ अजीत पुत्र कृष्ण कुमार सा0 पकडी मिश्राइन थाना नगर जनपद बस्ती को आज दिनांक 22.03.2025 समय करीब 12.30 बजे मोइली हड़ही तिराहे से गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल की गई वैगनार कार को भी बरामद किया गया |

गवाहों के बयान व शव की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-42/2025 धारा 137(2), 87 BNS में धारा-103(1), 140(1), 238A BNS की बढ़ोत्तरी कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सूरज उर्फ अजीत पुत्र कृष्ण कुमार सा0 पकडी मिश्राइन थाना नगर जनपद बस्ती।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.03.2025 को थाना पैकोलिया पर प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक-18.3.2025 को सुबह करीब 11.00 बजे मेरी बेटी उम्र करीब 17 वर्ष है, को सूरज पुत्र कृष्ण कुमार निवासी पकडी मिश्राइन थाना नगर जनपद बस्ती शादी करने की नियत से बहला फुसला कर कहीं लेकर चला गया है, काफी खोज बीन किया परन्तु कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसके संबंध में थाना पैकोलिया पर मु0अ0सं0 42/2025 धारा 137(2), 87 BNS पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही थी कि दिनांक 21.03.2025 को समय 16.32 बजे थाना नगर अंतर्गत मनोरमा नदी में ग्राम कैथवलिया के समीप मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित पीड़िता/ अपहृता का शव बरामद हुआ ।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त 1-सूरज उर्फ अजीत पुत्र कृष्ण कुमार द्वारा बताया गया कि मेरे मामा का घर ग्राम पटना थाना पैकोलिया में है । वही मामा के घर के पास ही मृतका का घर है। करीब 8 महिने पहले मै मृतका से वही मामा के घर के पास मिला था तभी से हम लोग बात चीत करते थे। बीते दिनांक 18.03.2025 को मै मुम्बई जाने वाला था, कि मृतका ने मुझे फोन करके कहा कि मुम्बई जा रहे हो एक बार मिल लो, तो मैने कहा की आज मै हड़ही बाजार मे आ रहा हूँ वही पर आओ । अपने गांव के बृजेश भईया की बैगनार कार को लेकर अकेले ही हड़ही बाजार पहुंचा तथा मृतका को कार में बैठा लिया तथा कैथवलिया पहुंचकर अपने दोस्त विशाल भारती पुत्र श्रीराम निवासी पिपरौला थाना नगर जनपद बस्ती जो कैथवलिया गांव मे ही वायरिंग का काम कर रहा था, को फोन करके बुलाकर गाड़ी में बैठा लिया फिर हम लोग वही गांव के बाहर ही मनोरमा नदी के किनारे मजार के पास एकांत जगह पर गये। मजार पर ही विशाल रुक गया । मैने विशाल को कहा कि तुम यही रुककर देखते रहो अगर कोई आयेगा तो आवाज लगा देना फिर मै मृतका से अकेले मे बात करने के लिए नदी के किनारे एक सरसो के खेत मे चला गया। वहां मृतका ने कहा कि तुम मुम्बई जा रहे हो मै भी चलुंगी। तुम शादी कर लो हम साथ मे मुम्बई चलेंगे, तो मैने मृतका को समझाया कि अभी तुम नाबालिक हो अगर मैं तुमसे शादी करुंगा तो तुम्हारे घर वाले मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। इस पर मृतका जिद करने लगी कि यदि तुम मुझसे शादी करके साथ मे नही ले चले तो तुमको मुकदमे मे फसा दुंगी। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैने हाथ से उसका गला दबा दिया। वह हाथ पैर मार रही थी। जब उसने हाथ पैर मारना बंद कर दिया मुझे लगा कि वह मर गयी तो मैने उसके दुपट्टे से उसका गला कसकर उसे घसीटते हुये नदी के पास ले गया और धक्का देकर मनोरमा नदी मे फेंक दिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.प्रभारी निरीक्षक पैकोलिया धर्मेन्द्र कुमार यादव जनपद बस्ती।

2.प्रभारी एसओजी टीम चन्द्रकांत पाण्डेय जनपद बस्ती।

3.. प्रभारी सर्विलांस सेल उ०नि० शशिकांत जनपद बस्ती।

4. उ0नि0 अवध राज थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

5. हे0का0 रमेश यादव, इरशाद खान, धर्मेन्द्र कुमार, का0 चन्दन भारती, का0 शिवम यादव एस0ओ0जी0 टीम बस्ती |

6. का0 विकास थाना पैकोलिया जनपद बस्ती। 7. हे0कां0 देवेश यादव, कां0 संतोष यादव सर्विलांस सेल जनपद बस्ती |

PTI